



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092026-276155
CG-DL-E-14092026-276155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4795]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4795]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ.4985(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे आगे उक्त एक्ट कहा गया है) की धारा 3A की उपधारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक मकसद के लिए तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट ज़िले में नेशनल हाईवे नंबर 65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन (जिसे चार से छह लेन का किया जा रहा है) के Km. 126/800 से Km. 154/650 तक के हिस्से में सड़क बनाने (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन आदि करने), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए नीचे दी गई अनुसूची में बताई गई ज़मीन की ज़रूरत है, एतद्वारा ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट ज़िले में नेशनल हाईवे नंबर 65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन को चार से छह लेन का बनाने के लिए, Km. 126/800 से Km. 154/650 तक की ज़मीन (जिस पर बनी संरचनाएं शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी) के अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			ज़िले का नाम: सूर्यपेट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सूर्यपेट					
गांव का नाम: सूर्यपेट					
1	108	निजी	रेसीडेंसीयल ()	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
गांव का नाम: केसरम					
2	104	सामान्य	नॉन ऐग्रीकल्चर ()	0.15 (हेक्टेयर)	0.15
तालुक का नाम: चिवेमला					
गांव का नाम: दुराजपल्ली					
3	29	सामान्य	नॉन ऐग्रीकल्चर ()	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
4	341	निजी	कमर्शियल ()	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
गांव का नाम: थिरुमलागिरी					
5	202	निजी	नॉन ऐग्रीकल्चर ()	0.161877 (हेक्टेयर)	0.161877
6	205,206 & 208	निजी	नॉन ऐग्रीकल्चर ()	0.002034 (हेक्टेयर)	0.002034
Total					0.568911

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/ 6L/NH-65/efile-287143/2025-26/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4985(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after

being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning/Six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 65 in the stretch of land from Km. 126/800 to Km. 154/650 (Four to six laning of Hyderabad-Vijayawada Section) in the District of Suryapet in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Suryapet in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.126/800 to Km. 154/650 for Four to six laning of Hyderabad-Vijayawada Section of National Highway No. 65 in the District of Suryapet in the state of Telangana.

State: TELANGANA			District: SURYAPET		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Suryapet					
Village: Suryapet					
1	108	Private	Residential ()	0.15 (Hectare)	0.15
Village: Kesaram					
2	104	Common	Non Agriculture ()	0.15 (Hectare)	0.15
Taluk: Chivemla					
Village: Durajpally					
3	29	Common	Non Agriculture ()	0.05 (Hectare)	0.05
4	341	Private	Commercial ()	0.055 (Hectare)	0.055
Village: Thirumalagiri					
5	202	Private	Non Agriculture ()	0.161877 (Hectare)	0.161877
6	205,206& 208	Private	Non Agriculture ()	0.002034 (Hectare)	0.002034
Total					0.568911

[F. No. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/ 6L/NH-65/efile-287143/2025-26/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director